

# स्प्रिटयुक्त निर्मिति ( अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ) नियंत्रण (निरसन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 32)

[22 अगस्त, 2006]

स्प्रिटयुक्त निर्मिति ( अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ) नियंत्रण  
अधिनियम, 1955 का निरसन  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्प्रिटयुक्त निर्मिति ( अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ) नियंत्रण (निरसन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।
2. स्प्रिटयुक्त निर्मिति ( अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ) नियंत्रण अधिनियम, 1955 इसके द्वारा 1955 के अधिनियम  
निरसित किया जाता है। 39 का निरसन।

के० एन० चतुर्वेदी,  
सचिव, भारत सरकार।